(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:— 67 / 2024 विविध
पीठासीन अधिकारी:—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:— 20.06.2024

1. मानसिंह पुत्र बद्री सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पचाला हाल निवासी 110 राजपूतो की ढाणी वार्ड नम्बर 36 सागांनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू राज0।
2. ग्राम पंचायत पचाला जरिये सरपंच भंवरसिंह पुत्र स्वर्गीय नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पचाला तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:— श्री गोविन्द सिंह पंवार वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक:— 20.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 154 के आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.4805 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पचाला तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी, प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक / एल0आर / 2022 / 2465 दिनांक 09.06.2022 की पालना में दिनांक 24.06.2022 को पटवार हल्का पचाला में सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थी द्वारा उक्त सीमाज्ञान की अनदेखी करने लगें तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में हुये सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शें अनुसार दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायन किये गये निशानात को अप्रार्थी द्वारा मिटाने पर आमादा है। अप्रार्थी नही चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधिनुसार किये गये सीमाज्ञान को नही मानते एवं प्रार्थी की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 एवं आदेश क्रमांक / एल. आर. / 2022 / 2465 दिनांक 09.06.2022

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला — दूदू

लगातार.............2

(2)

को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को अप्रार्थी नही मानते तथा प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा व मेर—कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थी विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 एवं तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2022 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा। विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की और पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किय गया।

अप्रार्थी सं0 2 की और से सरपंच ग्राम पंचायत पचाला उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 अनुसार पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही कि।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम पचाला में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2073—2076 वाके ग्राम पचाला के खाता संख्या के 154 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 24.06.2022 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थी अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

खातेदारों से विवाद होना बताया है। अप्रार्थी सं0 2 ने अपने जबाब मे मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 अनुसार पत्थरगढी किये जाने पर काई आपत्ति प्रकट नही की है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रहे व अप्रार्थीगण की आनापत्ति के आधार पर न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खतौनी संख्या 154 के आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 0.3920 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.4805 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पचाला तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट 24.06.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/6/24
राकेश कुमार II
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू